

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538,2741687
वेबसाईट:— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:— निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21 1933-1941-K दिनांक:—
प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, 30.12.2021
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इलाहाबाद बैंक),
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया।


विषय:— पेंशनर डाटा का कोषाधिकारी से मिलान कर शुद्धिकरण कार्य पूर्ण करने बाबत।
संदर्भ:— निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/1085-1135-के. दिनांक 02.11.2021 एवं
पत्र संख्या 1452-1459-K दिनांक 03.12.2021 तथा 1542-1549-K दिनांक
14.12.2021 तथा पत्र संख्या 1825-34-K दिनांक 21.12.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको सूचित किया गया था कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर डाटा में Mismatch होने के कारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अधिक भुगतान या कम भुगतान हो रहा है। कोषाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह बैंक स्करोल का मिलान कर स्करोल से कटौती की जाती है तथा आगामी माह में बैंक द्वारा अपना पक्ष पस्तुत करने के पश्चात् डाटा का मिलान कर शुद्धिकरण किया जाता है। आपसे निवेदन किया गया था कि डाटा Mismatch के सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए परन्तु लगभग 2 माह का समय व्यतीत होने पर भी इस कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि संबंधित बैंक शाखाओं (सीपीपीसी) के अधिकारियों को कोषाधिकारी से डाटा मिलान कर सभी Mismatch के प्रकरणों का निस्तारण कर दिनांक 10.01.2022 तक ई-मेल आई.डी PRADEEPMATHUR.FIN@rajasthan.gov.in पर अवगत करावें।

भवदीय



(संजय सोलंकी)
निदेशक